



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन
संख्या - 86 / 2026

अनस अंसारी @ मोहम्मद अनस

बनाम

..... आवेदक

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ
एवं अन्य

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद नफीस
प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. पुकार हुई। नोटिस (सूचना) देने के बावजूद, प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में तथा इस न्यायालय के दिनांक 16.03.2026 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कहा गया है "यह स्पष्ट किया जाता है कि अगली सूची की तारीख पर, प्रतिवादी के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित न होने की वजह से वाद टाला नहीं जाएगा तथा पहली पुकार में ही यथोचित आदेश पारित किया जायेगा।", न्यायालय मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर रहा है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) में रखी सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक ने प्राथमिकी/वाद अपराध संख्या 382/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा- 351(2) एवं 69 के अंतर्गत, थाना - खीरी, जिला- खीरी के संबंध में दायर की है।
4. दिनांक 19.01.2026 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय ने आवेदक के हितों की रक्षा की थी। दिनांक 19.01.2026 का आदेश, जिसका सन्दर्भ दिया गया है, इस तरह है :-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।

2. यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक ने वाद अपराध संख्या 382/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा - 351(2) एवं 69 के अंतर्गत, थाना- खीरी, जिला- खीरी के संबंध में दायर की है।

3. इस तत्काल आवेदन पर जोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है।

4. आगे यह भी कहा गया है कि अगर इस प्राथमिकी में लगाए गए आरोप, जो आवेदक के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही का आधार हैं, कि शादी का झूठा वादा करके आवेदक ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, उन्हें सच मान लिया जाए, तो उस स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 एससीसी 675; सोनू @ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2021) 7 एससीसी; मंदर दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2110 और अमोल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1230 के मामले में तय विधि के आधार पर आवेदक को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।

5. ऊपर बताई गई बातों तथा प्राथमिकी में बताए गए आवेदक के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले को एवं उपरोक्त निर्णयों को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक अंतरिम सुरक्षा का हकदार है।

6. इसलिए, एक अंतरिम उपाय के तौर पर यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, अभियुक्त-आवेदक-अनस अंसारी @ मोहम्मद अनस को ऊपर बताए गए वाद अपराध (उपरोक्त) में 25,000/- रूपए की निजी प्रतिभू तथा उतने ही रूपए के दो प्रतिभूओं (जिसमें से एक परिवार के सदस्य/करीबी रिश्तेदार में से) देने पर अग्रिम जमानत पर तुरंत छोड़ दिया जाए। संबंधित थाने/ संबंधित न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए, इन शर्तों के साथ :-

- (i) कि अभियुक्त-आवेदक जब भी ज़रूरत हो, पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा तथा अन्वेषण में सहयोग करेगा;
- (ii) कि अभियुक्त-आवेदक, मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले; और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. प्रतिवादी संख्या 2 / शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की जाये।

8. इस संबंध में सात कार्य-दिवस के भीतर कदम उठाए जाएं।।

9. प्रतिवादी संख्या 2 को थानाध्यक्ष, थान - खीरी, जिला- खीरी द्वारा भी, इस तत्काल मामले के लंबित होने के बारे में सूचित किया जाए।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के बारे में तुरंत संबंधित थानाध्यक्ष को बताएं तथा संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्ता/पीड़िता को दी गई जानकारी का प्रमाण एक शपथ-पत्र के द्वारा तब पेश किया जाये, जब वाद अगली बार सूचीबद्ध हो।

11. इस आवेदन को दिनांक 16.02.2026 को प्रथम 20 वाद में सूचीबद्ध करें/लगाएं।”

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अभिलेख (रिकॉर्ड) से यह सिद्ध नहीं कर सके कि जमानत आवेदन में कोई भी ऐसा तथ्य है, जो विरोध में हो। इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए पाया कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई तथ्य भी नहीं बता सके जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक ने अन्वेषण की कार्यवाही या अन्यथा सहयोग नहीं किया है या कोई और ऐसा स्पष्ट तथ्य जो मामले के गुण-दोष पर बुरा असर डाल सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मौजूदा अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृति** दी जाती है तथा आवेदक- **अनस अंसारी @ मोहम्मद अनस** की अग्रिम जमानत को विचारण (ट्रायल) के निस्तारण तक, इन शर्तों के साथ बढ़ाया जाता है :-
- (i) कि आवेदक ज़रूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारी से पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - (ii) कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
 - (iii) कि आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - (iv) कि आवेदक हर तय दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
 - (v) कि आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराया नहीं करेगा।
7. अगर कोई चूक होती है, तो अन्वेषण करने वाली संस्था, इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दे सकती है।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

19 मार्च, 2026

प्रीति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।